UPCD010010592023

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

उपस्थितः अशोक कुमार-XI, एच.जे.एस.

J.O. Code No. U.P. 6128

निष्पादन वाद संख्या : 34 सन् 2023

मे. श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेन्स लि. --- आज्ञप्तिधारक।

बनाम

दिवाकर कुमार पुत्र रमाकान्त लाल, मारिया नई बस्ती पड़ाव, जनपद चन्दौली।

--- निर्णीत ऋणी।

दिनॉंक : 13.09.2025,

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 19ग दिनॉंकित 14.08.2025 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र 19ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त निष्पादन वाद में निर्णीत ऋणी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन वाद से सम्बन्धित समस्त बकाया धनराशि रु. 20,000/- (बीस हजार रु.) जमा कर दिया गया है, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। प्रार्थी/डिक्रीदार प्रस्तुत निष्पादन वाद, पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित कराना चाहता है। तद्नुसार प्रस्तुत निष्पादन वाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किये जाने की याचना प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री अरविन्द मिश्रा, एडवोकेट की गयी है, जिनका की वकालतनामा कागज संख्या- 6ग शामिल पत्रावली है।

चूंकि प्रार्थी/डिक्रीदार ही प्रस्तुत निष्पादन वाद उक्त आधार पर पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित कराना चाहता है। अस्तु प्रार्थी/डिक्रीदार का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 19ग दिनॉंकित 14.08.2025 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/डिक्रीदार का प्रार्थना-पत्र 19ग दिनॉंकित 14.08.2025 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत निष्पादन वाद संख्या 34/2023 प्रार्थी/डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि में खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

(अशोक कुमार-XI)

अपर जनपद न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

दिनॉंक : 13.09.2025

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2025.09.13 12:05:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court